


वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार उपावंटन

तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	1265	759000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	2567	1540200
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	637	382200
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	365	219000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	657	394200
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	1399	839400
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	964	578400
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिथुनगंज	1476	1080800
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	943	754400
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	750	450000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	2271	1816800
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	716	429600
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	511	306600
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	145	87000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	173	96400
	कुल योग :-	14839	9734000

मो० (सन्तानवे लाख चौतीस हजार) रुपये मात्र।

270-2  
28/6/13

  
जिला पदाधिकारी, 28/6  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा  
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../  
चातू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनावर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना  
( विशेष घटक ) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु प्रथम किस्त कुल रु0-  
97,34,000=00 (सन्तानवे लाख चौतीस हजार ) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0वृद्धा0पें0-11/2013-  
स0क0-19 पटना, दिनांक-22/05/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित  
निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-999 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को प्रथम किस्त  
नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु0 97,34,000=00 (सन्तानवे लाख चौतीस हजार)  
रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- उपावंटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक  
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय  
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा, विपत्र कोड  
संख्या-p-2235037890101 तथा स्कीम कोड-WEL-5498 से विकलनीय होगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषांगार से निकासी कर शिविर के माध्यम से  
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध  
करायी जाय।
- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।  
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासमाजन

९०  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापक 270-2 / सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 28/6/13 /

प्रतिलिपि-(4) कोषांगार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।